लोन मेला प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियो के लिए

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान–मोर आस घटक अंतर्गत हितग्राहियो के लिए 30 जुलाई को लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे हितग्राही किरायेदार के रूप में निवासरत, बेघर परिवारो को आवास प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। हितग्राहियो द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान राशि जमा करके लॉटरी में भाग लेकर मकान अपने नाम आबंटित कराया गया है। आबंटन की शेष 90 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है। ततपश्चात मकान का अधिपत्य पत्र उन्ह सौंपा जाता है। बहुत से हितग्राही शेष 90 प्रतिशत राशि जमा नही कर पा रहे है। ऐसे हितग्राहियो के लिए लोन मेला लगाया जा रहा है। जिसके माध्यम से आबंटित आवास का कुल राशि जमा करके मकान प्राप्त कर सकेगें। आवास लोन मेला अंबेडकर सामुदायिक भवन बैकुण्ठधाम भिलाई में आयोजित होगा। बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर आवास लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। हितग्राही उसका लाभ ले सकते है। बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज– आबंटन पत्र की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैक पास बुक की छायाप्रति, शपथ पत्र, 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, वेतन प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट साईज फोटो, किरायानामा, जमा की गई राशि के रसीद की छायाप्रति। आबंटिती अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से लोन प्राप्त कर आबंटिती आवास प्राप्त कर सकते है। प्रमुख बैंक में जिनके माध्यम से लोन प्रदान किया जायेगा। आई.आई.एफ.एल., आवास फाईनेंश भिलाई, आवास फाईनेंश दुर्ग, स्वतंत्र माईक्रो फाईनेश, इजी होम फाईनेंश, पिरामल फाईनेंश, वास्तू हाउसिंग फाईनेंश आदि बैंक संयुक्त रूप से अपने ब्याज दर के विवरणी के साथ उपस्थित रहेगे। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने सभी आबंटितो से अपील की है कि अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से लोन प्राप्त करके शेष राशि जमा कर मोर मकान–मोर आस योजना अंतर्गत आबंटित मकान प्राप्त करने का अच्छा अवसर है।